प्रारंभिक परीक्षा

विझिंजम बंदरगाह

संदर्भ
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक ईंधन कुशल कंटेनर जहाजों में से एक, **MSC तुर्किये**, **विझिंजम** अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा।

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के बारे में -
- **यह भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है जो केरल के विझिंजम (तिरुवनंतपुरम के पास) में स्थित है।**
  - **डीपवाटर पोर्ट**: मानव निर्मित संरचनाएं जिनका उपयोग तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन, भंडारण या संचालन के लिए बंदरगाहों या टर्मिनलों के रूप में किया जाता है।
  - **ट्रांसशिपमेंट पोर्ट:** यह एक पारगमन हब है जहाँ कार्गो को अंतिम गंतव्य तक ले जाने के दौरान एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है।
- इसे **डिजाइन**, **निर्माण**, **वित्त**, **संचालन और हस्तांतरण** (**DBFOT)** मॉडल पर बनाया गया है।
  - **DBFOT** मॉडल एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)** मॉडल है जिसके तहत एक निजी भागीदार इसके लिए जिम्मेदार होता है:
    - अनुबंधित अवधि के दौरान परियो**जना का डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण और संचालन**।
  - अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद **परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र को वापस हस्तांतरित करना।**

भारत का बंदरगाह क्षेत्र -
- भारत दुनिया का **16वां सबसे बड़ा समुद्री देश** है।
- भारतीय समुद्री क्षेत्र **मात्रा के हिसाब से भारत के व्यापार में 95% और मूल्य के हिसाब से 70% का योगदान देता है।**
- **प्रमुख बंदरगाह**: बंदरगाह**,** शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियंत्रित भारत में प्रमुख बंदरगाहों को नियंत्रित करता है।
- **गौण बंदरगाह**: राज्य समुद्री बोर्ड/सरकार द्वारा नियंत्रित। 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।
- **भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं:** चेन्नई, कोचीन, दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), कोलकाता, मोरमुगाओ, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप, वी.ओ. चिदंबरनार (तूतीकोरिन), विशाखापत्तनम और कामराजर पोर्ट लिमिटेड।
  - **13वां-वधावन बंदरगाह (निर्माणाधीन)**।
- कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह, ओडिशा है।
- **शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 30% से अधिक है और यहाँ अलंग (गुजरात) में विश्व की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग सुविधा है।**

स्रोत: [Indian Express - Vizhinjam port]

धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए साल्ट पैन भूमि को मंजूरी दी गई

संदर्भ

महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) के तहत झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए 256 एकड़ साल्ट पैन(नमक भूमि) के आवंटन को मंजूरी दे दी है।

साल्ट पैन भूमि (नमक भूमि) क्या है?

- **ये निचले इलाके हैं जहाँ समुद्री जल बहता है और वाष्पित हो जाता है, तथा पीछे नमक और खनिज छोड़ जाता है।**
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना 2011 के तहत, साल्ट पैन **CRZ -1B** के अंतर्गत आते हैं, जो नमक निष्कर्षण और प्राकृतिक गैस अन्वेषण को छोड़कर आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
- **साल्ट पैन का पारिस्थितिक महत्व**
    - **बाढ़ से बचाव**: साल्ट पैन और मैंग्रोव प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में काम करते हैं, जो भारी बारिश और उच्च ज्वार के दौरान अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं। इससे मुंबई में गंभीर जलभराव का खतरा कम हो जाता है।
    - **जैव विविधता**: ये क्षेत्र पक्षी प्रजातियों और समुद्री जीवन की विविध श्रेणी का समर्थन करते हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तटीय विनियमन क्षेत्र क्या हैं?

- **समुद्र, खाड़ियों, ज्वारनदमुख, क्रीक, नदियों और बैकवाटर के तटीय विस्तार जो ज्वारीय क्रिया से प्रभावित होते हैं, उन्हें तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया जाता है।**
- **सीआरजेड को 4 श्रेणियों में बांटा गया है**:
    - **CRZ (I-A):**
        - पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, नमक के दलदल, प्रवाल भित्तियाँ और वन्यजीवों के प्रजनन के स्थान। यहाँ किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं है।
    - **CRZ (I-B):**
        - अंतरज्वारीय क्षेत्र, अर्थात् उच्च ज्वार रेखा और निम्न ज्वार रेखा के बीच का क्षेत्र।
    - **CRZ-II:**
        - निर्मित शहरी क्षेत्र जहाँ निर्माण की अनुमति केवल भूमि की ओर वाले भाग (landward side)पर है।
    - **CRZ-III:**
        - वे भूमि क्षेत्र जो अपेक्षाकृत अप्रभावित हैं (जैसे ग्रामीण क्षेत्र, आदि) और जो CRZ-II के अंतर्गत नहीं आते हैं।
        - मौजूदा इमारतों की मरम्मत को छोड़कर किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं है।
    - **CRZ-IV:**
        - प्रादेशिक जल और ज्वार से प्रभावित जल निकायों से 12 समुद्री मील तक का जल क्षेत्र।
        - स्थानीय समुदाय पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट की अनुमति नहीं है।

स्रोत: [The Hindu - Salt pan lands]

3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन

संदर्भ
हाल ही में जापान ने छह घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया।

3D प्रिंटिंग क्या है?

- **यह परत दर परत सामग्री जोड़कर डिजिटल मॉडल से त्रि-आयामी ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया है।** इसे **एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग** के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक योगात्मक (एडिटिव) प्रक्रिया है, जिसमें प्लास्टिक, कंपोजिट या जैव-सामग्री जैसी सामग्री की परतों को आकार, माप, कठोरता और रंग में भिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए बनाया जाता है।
- **यह उच्च परिशुद्धता के साथ जटिल आकृतियों और संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देता है।**

3D प्रिंटिंग कैसे की जाती है?
- 3D प्रिंटिंग के मूल सिद्धांत में परत दर परत ऑब्जेक्ट का निर्माण शामिल है।
- यह एक डिजिटल मॉडल या **कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (CAD)** फ़ाइल से शुरू होता है, जिसे पतली क्रॉस-सेक्शनल परतों में काटा जाता है।
- 3**D** प्रिंटर फिर इन स्लाइस को पढ़ता है और एक समय में एक परत सामग्री को जमा या ठोस करता है, धीरे-धीरे अंतिम वस्तु का निर्माण करता है।
- **विभिन्न 3**D **प्रिंटिंग तकनीकें**: फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग (**FDM), स्टीरियोलिथोग्राफी** (**SLA),** सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग (**SLS),** बाइंडर जेटिंग आदि।

UPSC PYQ

प्रश्न. "3D प्रिंटिंग" का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? (2018)
1. मिष्टान्न की चीजें बनाने में
2. जैव इलेक्ट्रॉनिकी कर्ण के निर्माण में
3. ऑटोमेटिव उद्योग में
4. पुनर्निर्माणकारी शल्य में
5. दत्त (डेटा) संसाधन प्रौद्योगिकियों में

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2, 3 और 5
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (**d**)

स्रोत: [Indian Express - 3D printing]

समाचार संक्षेप में

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त(RGCCI)

- RGCCI ने जन्म और मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्टिंग न करने के बारे में निजी और सरकारी अस्पतालों को चेतावनी जारी की है।
- वर्तमान में पूरे भारत में केवल 90% जन्म/मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है। (लक्ष्य - 100%)।
- जनगणना में देरी के कारण, **जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण** का अनुमान लगाने के लिए **नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड** महत्वपूर्ण हो गए हैं।

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के बारे में -

- यह भारत की दशकीय जनगणना आयोजित करने, जनसांख्यिकीय और जनसंख्या डेटा संकलित करने और देश भर में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
- यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- इसने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए CRS मोबाइल ऐप विकसित किया है।

CRS मोबाइल ऐप -

- **इसे भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा विकसित किया गया है।**
- इसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाना है, जिससे यह नागरिकों के लिए अधिक सुलभ एवं कुशल बन सके।
- नए ऐप के माध्यम से, व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी स्थान से, अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं।
- **डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न सेवाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश**, सरकारी नौकरियों और विवाह पंजीकरण के लिए जन्म तिथि साबित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा।
- **जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम**, **2023** के अनुसार, **1** अक्टूबर, **2023** से देश में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु को **केंद्र के** CRS **पोर्टल** के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाना है।

स्रोत: The Hindu - RGCCI

रेक्ला रेस

- **यह पोंगल त्यौहार के दौरान, ग्रामीण तमिलनाडु में प्रचलित बैलगाड़ी दौड़ है।**
- इसमें बैलों की दौड़ शामिल होती है, जिन्हें गति के लिए डिज़ाइन की गई छोटी, एक-व्यक्ति वाली गाड़ियों से जोड़ा जाता है।

स्रोत: The Hindu - Rekla

मालाबार ग्रे हॉर्नबिल

- **केरल के शोधकर्ताओं की एक टीम को मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के संरक्षण पर उनकी परियोजना के लिए, कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम (CLP) द्वारा फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।**
- CLP फॉना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, बर्डलाइफ इंटरनेशनल और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के मध्य एक साझेदारी है।

- **उद्देश्य**: युवा संरक्षणवादियों की क्षमता का निर्माण करना, विशेष रूप से विकासशील देशों में, जहां संरक्षण के लिए संसाधन प्रायः सीमित होते हैं।

मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के संदर्भ में -

- यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की संबंधित पहाड़ियों में पाए जाते हैं।
- **विशेषताएँ**:
  - उनके पास एक बड़ी चोंच होती है, लेकिन उनमें कास्क की कमी होती है, जो कि कुछ अन्य हॉर्नबिल प्रजातियों में प्रमुख है।
  - इनमें सफ़ेद सिरे वाली काली पूंछ और पीली भौं होती है।
  - ये जोड़े या छोटे समूहों में घूमते हैं तथा अंजीर और अन्य जंगली फल खाते हैं।
  - उनकी तेज़ चहचहाहट और हँसने की आवाज़, उन्हें क्षेत्र में रहने वाले लोगों से परिचित कराती है।
- **निवास स्थान:** वे मुख्य रूप से घने जंगलों और रबर, सुपारी या कॉफी के बागानों के आसपास पाए जाते हैं।
- **IUCN स्थिति:** सुभेद्य
- **भारत हॉर्नबिल की नौ प्रजातियों का स्थल है, जिनमें- ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, रूफस-नेक्ड हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल आदि शामिल हैं।**

स्रोत: The Hindu - Malabar Grey Hornbill

महात्मा ज्योतिबा फुले

- **उनका जन्म 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में, एक हिंदू माली जाति के परिवार में हुआ था।**
- वह 19वीं शताब्दी के भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक, विचारक और कार्यकर्ता थे।
- उन्होंने अपना जीवन जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सीमांत समुदायों के अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया।
- **समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णाजी वंदेकर ने ज्योतिराव फुले को "महात्मा" की उपाधि से सम्मानित किया।**
- भारत में पहला बालिका विद्यालय (1848): पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ स्थापित।
  - उन्होंने श्रमिकों और किसानों के लिए रात्रि विद्यालय भी खोले।
- **सत्यशोधक समाज:**
  - **24 सितंबर 1873 को फुले ने महिलाओं, शूद्र और दलित जैसे दलित समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, सत्यशोधक समाज का गठन किया।**
  - इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की।
  - इस समाज ने तर्कसंगत सोच के प्रसार के लिए भी अभियान चलाया और पुजारियों की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया।
- **ज्योतिबा फुले के महत्वपूर्ण साहित्य:**
  - **गुलामगिरी** - जाति प्रथा और निचली जातियों के शोषण की आलोचना की।
  - **शेतकार्याचा आसुद** - इसने किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और भूमि सुधारों की वकालत की।
  - तृतीय रत्न (नाटक), सतसार (पत्रिका)।

स्रोत: The Hindu - Jyotiba Phule

मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम (MCS) क्या हैं?

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार- **मृदा की नमी का स्तर गंभीर मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम (MCS) के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत के रूप में कार्य कर सकता है।**

MCS के संदर्भ में -

- **MCS तूफानों का एक बड़ा, संगठित समूह है।**
- यह इंग्लैंड से भी बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकता है तथा सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है।
- **प्रभाव**:
    - यह तीव्र वर्षा का कारण बनता है।
    - यह अचानक बाढ़, भूस्खलन, अवसंरचना, पशुधन एवं मानव जीवन को हानि पहुंचाता है।
- **वर्षा का योगदान:** उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, MCS का कुल वर्षा में 50% से 90% योगदान होता है।
- **MCS के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट**: पश्चिम और मध्य अफ्रीका, उत्तरी भारत, अर्जेंटीना, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स।

स्रोत: Down to Earth - MCS

अल्फाल्फा(Alfalfa)

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने अमेरिका से आनुवंशिक रूप से संशोधित अल्फाल्फा घास के आयात को मंजूरी दे दी है, किन्तु केंद्रीय कृषि मंत्रालय से अंतिम मंजूरी लंबित है।

अल्फाल्फा के संदर्भ में -

- **यह फैबेसी परिवार का एक बारहमासी फूल वाला पौधा है।**
- इसका उपयोग उच्च-प्रोटीन पशु आहार के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से मवेशियों और घोड़ों के लिए।
- **लाभ**:
    - पोषक तत्वों से भरपूर (प्रोटीन, विटामिन, खनिज)।
    - दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ाता है।
    - नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की उर्वरता में सुधार करता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) -

- **यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) 1986 के तहत, एक वैधानिक निकाय है।**
- **नोडल मंत्रालय**: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)।
- यह समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर (GE) जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव करते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अस्वीकृत GM संस्करण के उपयोग पर, 5 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

स्रोत: Economic Times - Alfalfa

गर्भावधि मधुमेह (GDM)

- **यह एक ऐसी स्थिति है, जहां गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा (ग्लूकोज) उस महिला में विकसित हो जाती है, जिसे पहले से मधुमेह नहीं था।**
- सामान्य तौर पर इसकी पहचान, गर्भावस्था के 24-28 सप्ताह के मध्य में होती है।
- **कारण**:
- गर्भावस्था के दौरान, प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन मां के इंसुलिन के उपयोग में बाधा डालते हैं, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध होता है।

- जब शरीर इसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे GDM होता है।
- **जोखिम**:
  - बाद के जीवन में, माँ में टाइप 2 मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है।
  - इससे बच्चे में चयापचय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

मधुमेह पर दिल्ली घोषणापत्र -

- यह GDM के लिए एक रोकथाम रणनीति प्रदान करता है।
- इसका अनावरण मार्च 2024 में आयोजित 18वें वार्षिक DIPSI (भारत में गर्भावस्था में मधुमेह अध्ययन समूह) सम्मेलन में किया गया था।
- यह ग्लूकोज असहिष्णुता के लिए गर्भावस्था के आठ सप्ताह में महिलाओं की जांच की वकालत करता है।

स्रोत: **The Hindu - Gestational Diabetes**

संपादकीय सारांश

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा

संदर्भ

वर्तमान में कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही केंद्रीय योजना भारत में गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल है।

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रस्तावित लाभ -

- **आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य कवरेज**: गिग वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए **₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान** किया जाएगा।
- **eShram पोर्टल पर पंजीकरण**: गिग वर्कर्स को **eShram** पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा, जो असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। यह पंजीकरण दुर्घटना बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित विभिन्न **सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुँच** को सक्षम बनाएगा।
- **लेन-देन-आधारित पेंशन योजना**: **गिग वर्क लेन-देन से जुड़ी एक पेंशन योजना** प्रस्तावित है:
    - प्रत्येक कर्मचारी को एक **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर** (यूएएन) सौंपा जाएगा।
    - यह यूएएन कई प्लेटफ़ॉर्म पर **आय को ट्रैक** करने में मदद करेगा।
    - प्रत्येक लेन-देन का एक हिस्सा **कर्मचारी के पेंशन संबंधी योगदान** में जाएगा।
    - प्लेटफ़ॉर्म कंपनियाँ (जैसे ज़ोमैटो, उबर, आदि) भी श्रमिकों के पेंशन फंड में एक छोटा प्रतिशत (टर्नओवर का **1-2%**, अधिकतम **5%)** योगदान देंगी।

गिग वर्कर्स के बारे में -

- **गिग वर्कर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एकल नियोक्ता के साथ पारंपरिक दीर्घकालिक रोजगार रखने के स्थान पर अक्सर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या ऐप के माध्यम से अल्पकालिक, अस्थायी या स्वतंत्र कार्य व्यवस्था में संलग्न होते हैं।**
- ये कर्मचारी आमतौर पर लचीले, आवश्यकतानुसार विशिष्ट कार्य या प्रोजेक्ट करते हैं, और उन्हें नियमित वेतन प्राप्त करने की अपेक्षा आमतौर पर प्रति कार्य या "गिग" के आधार पर भुगतान किया जाता है।
- गिग इकॉनमी पर अपने कार्य नीति पत्र में, नीति आयोग ने **2030 तक गिग कार्यबल के 23.5 मिलियन श्रमिकों** तक विस्तार करने का अनुमान लगाया है।

गिग वर्कर की संख्या में वृद्धि के पीछे कारण -

- **तकनीकी प्रगति**: **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप** के विकास ने श्रमिकों के लिए अल्पकालिक नौकरियों को ढूंढना और पूरा करना आसान बना दिया है।
    - **इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन की बढ़ती पहुँच** ने अधिक लोगों को गिग कार्य के अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाया है।
- **आर्थिक कारक**: **पारंपरिक रोजगार सृजन धीमा** रहा है, और गिग कार्य कई नौकरी चाहने वालों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
    - गिग कार्य उन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करता है जिन्हें अन्य नौकरियों से या नौकरियों के बीच अपनी आय को पूरक करने की आवश्यकता होती है।
- **लचीलापन और स्वायत्तता**: गिग वर्क काम के घंटों और अवस्थिति में लचीलापन प्रदान करता है, जो बेहतर कार्य-जीवन संतुलन चाहने वालों को आकर्षित करता है।
    - इससे छात्रों/महिलाओं द्वारा सुविधानुसार अंशकालिक काम की पेशकश करके श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई।
- **मांग-आधारित (ऑन-डिमांड) सेवाओं की मांग**: राइड-शेयरिंग, खाद्य वितरण और फ्रीलांस काम जैसी ऑन-डिमांड सेवाओं की मांग बढ़ रही है, जिससे गिग वर्कर्स की आवश्यकता बढ़ रही है।

गिग वर्कर्स के सामने आने वाली कार्य संबंधी समस्याएं -

- **राजस्व साझाकरण:** गिग वर्कर्स अक्सर प्लेटफ़ॉर्म द्वारा निर्धारित अनुचित राजस्व साझाकरण मॉडल का विरोध करते हैं।
- **वित्तीय अस्थिरता**: आय निरंतरता का अभाव और अप्रत्याशित होने के कारण वित्तीय अस्थिरता की स्थित उत्पन्न हो सकती है।
- **लंबे कार्य घंटे**: कई गिग वर्कर्स को अतिरिक्त मुआवजे के बिना लंबे और अनियमित कार्य घंटों तक कार्य करना पड़ता है।
- **कानूनी सुरक्षा का अभाव**: मौजूदा कानूनी ढांचा गिग कार्य की जटिलताओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों पर आधारित** है।
  - प्लेटफ़ॉर्म गिग वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो उन्हें पारंपरिक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभों और सुरक्षा से बाहर रखता है।
- **लाभों तक कोई पहुँच नहीं**: गिग वर्कर्स के पास स्वास्थ्य बीमा, सवेतन अवकाश और सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच नहीं है।
  - अधिक काम और सुरक्षा नियमों की कमी से दुर्घटनाएँ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

भारत में गिग वर्कर के लिए राज्य सरकार की पहल -

- **राजस्थान** ने **प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023** लागू किया, जिसमें गिग वर्कर के लिए पंजीकरण, लेन-देन-आधारित कल्याण उपकर और शिकायत निवारण प्रणाली को अनिवार्य किया गया।
- **कर्नाटक ने प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2024** पेश किया, जो एल्गोरिदमिक पारदर्शिता, निष्पक्ष अनुबंध और कल्याण बोर्ड में एग्रीगेटर योगदान सुनिश्चित करता है।
- **तमिलनाडु ने पंजीकृत गिग वर्कर्स** के लिए ई-स्कूटर, बीमा कवरेज और वर्कर लाउंज के लिए **₹20,000** की सब्सिडी देने वाली एक योजना शुरू की।
- **आंध्र प्रदेश, वाईएसआर वाहन मित्र योजना** चलाता है, जो वाहन रखरखाव और बीमा के लिए स्व-नियोजित ड्राइवरों को सालाना **₹10,000** प्रदान करता है।

मौजूदा व्यवस्था में खामियाँ -

- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल की कमी**: भारत ने **ILO** (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) के सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन, **1952 (सं. 102)** की पुष्टि नहीं की है, जो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के प्रति कमज़ोर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता**, **2020 में अस्पष्टताएँ**: संहिता में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की अस्पष्ट परिभाषाएँ दी गई हैं।
  - **कमज़ोर सुरक्षा उपायों और केंद्रीकृत निगरानी** के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई है, जिससे वास्तविक रूप से इसका प्रभाव सीमित हो गया है।
- **निष्क्रिय कल्याण बोर्ड**: कल्याण बोर्ड, लाभों के लिए मुख्य वितरण तंत्र, **अक्षम और अपारदर्शी** साबित हुए हैं:
  - निर्माण श्रमिकों के लिए उपकर निधि में **₹70,744** करोड़ का उपयोग नहीं किया गया।
  - तमिलनाडु में, **99** स्थानीय निकायों द्वारा **₹221.8** करोड़ का बकाया नहीं चुकाया गया।
  - केरल में **16** में से केवल **5** बोर्ड ही क्रियाशील पाए गए; कुछ ने शून्य लाभार्थियों की सूचना दी।
- **विखंडित और विभाजित दृष्टिकोण**: विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे, बीड़ी श्रमिक, गिग श्रमिक) के लिए लक्षित योजनाएँ असमानता पैदा करती हैं और अनौपचारिक श्रम की साझा अनिश्चितता का समाधान करने में विफल रहती हैं।
  - ऐसा दृष्टिकोण **अंतर्संबंध की उपेक्षा** करता है और घरेलू श्रमिकों जैसे समान रूप से कमज़ोर समूहों को इन योजनाओं से बाहर करता है।

- **समाधान के रूप में गिग कार्य पर अत्यधिक निर्भरता**: यह धारणा कि गिग कार्य अनौपचारिक श्रम को औपचारिक बना देगा, **त्रुटिपूर्ण है।**
    - अधिकांश गिग नौकरियों में **सुरक्षा**, **स्थिर आय और नियोक्ता की जवाबदेही** का अभाव होता है, जो औपचारिक रोजगार की मुख्य विशेषताएँ हैं।
- **डेटा और प्लेटफ़ॉर्म का अप्रभावी उपयोग**: हालाँकि, **eShram** जैसी पहल का उद्देश्य अनौपचारिक श्रमिकों को पंजीकृत करना है, **कल्याण करने संबंधी तंत्र के साथ एकीकरण की कमी** वास्तविक लाभों को सीमित करती है।
    - विभागों में वास्तविक समय के डेटा साझाकरण की अनुपस्थिति लक्ष्यीकरण और ट्रैकिंग को कमजोर करती है।

क्या किया जाना चाहिए?

- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा मंच**: लक्षित योजनाओं से हटकर अधिकार-आधारित, सार्वभौमिक ढांचे की ओर कदम बढ़ाना, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों।
- **कल्याण बोर्डों को मजबूत बनाना और उनमें सुधार करना**: पारदर्शिता, निधि उपयोग और कल्याण बोर्डों की वास्तविक समय में अंकेक्षण सुनिश्चित करना।
    - लाभार्थियों की प्रदर्शन-आधारित समीक्षा और प्रौद्योगिकी-संचालित ट्रैकिंग शुरू करना।
- **विकेंद्रीकृत किंतु समन्वित शासन**: राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए स्थानीय स्तर पर योजनाओं को नया रूप देने और अनुकूलित करने के लिए संहिता के तहत राज्यों को दिए गए लचीलेपन का लाभ उठाना।
- **कानूनी परिभाषाओं को स्पष्ट करना**: अस्पष्टता को कम करने के लिए गिग, प्लेटफ़ॉर्म और अन्य अनौपचारिक श्रमिकों की स्पष्ट, समावेशी परिभाषाएँ प्रदान करने के लिए संहिता में संशोधन करना।
- **डेटाबेस और पोर्टल का एकीकरण**: लाभों की बेहतर ट्रैकिंग और वितरण के लिए ई-श्रम, आयुष्मान भारत और पेंशन खातों को श्रम प्रबंधन प्रणालियों से जोड़ना।
- **सतत निगरानी और फीडबैक तंत्र**: योजनाओं के डिजाइन और वितरण में सुधार के लिए कार्यकर्ता फीडबैक लूप और सामाजिक ऑडिट को संस्थागत बनाना।

स्रोत: The Hindu: Drop the piecemeal ways to social security for workers

क्या न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने में मौजूदा तंत्र प्रभावी हैं?

संदर्भ

न्यायिक भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है और कानून के शासन की नींव को कमज़ोर करता है। भारत ने न्यायिक अखंडता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए कई औपचारिक और अनौपचारिक तंत्र स्थापित किए हैं। हालाँकि, इन तंत्रों की प्रभावशीलता बहस का विषय बनी हुई है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- नवीनतम सी-वोटर-इंडिया टुडे सर्वेक्षण के अनुसार:
    - सर्वेक्षण में शामिल केवल 30% लोगों ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
    - 12% लोग इस पर केवल कुछ हद तक ही भरोसा करते हैं।
    - लगभग 48% लोगों ने बताया कि उन्हें इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।

न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वर्तमान तंत्र -

तंत्र	विवरण	कानूनी आधार / प्राधिकार	सीमाएँ
महाभियोग प्रक्रिया	कठोर संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जाना।	**अनुच्छेद 124(4) एवं (5),** न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968	इसका प्रयोग बहुत कम होता है; राजनीतिक रूप से कठिन है; किसी भी न्यायाधीश पर कभी भी सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं लगाया गया है।
इन-हाउस जांच प्रक्रिया	न्यायाधीशों की एक समिति के माध्यम से न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए आंतरिक तंत्र; सिफारिशों में चेतावनी या इस्तीफा शामिल हो सकता है।	**सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित (1997 के दिशानिर्देश)**	**गैर-सांविधिक;** पारदर्शिता का अभाव; निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं।
न्यायालय की अवमानना के लिए कानून	इसका उपयोग न्यायपालिका के अधिकार को कम करने वाली या न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए किया जाता है।	**न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971**	अक्सर इसका प्रयोग आलोचना को दबाने के लिए किया जाता है; यह न्यायपालिका की सद्भावनापूर्ण जांच को दबा सकता है।
कॉलेजियम प्रणाली (नियुक्तियाँ)	**न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं;** उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम सिफारिशें करते हैं; कार्यपालिका नाम वापस भेज सकती है।	**न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित (जैसे, 1993 सर्वोच्च न्यायालय)**	**पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव; नियुक्तियों में कार्यकारी हस्तक्षेप जारी है।**

वित्तीय प्रकटीकरण (नैतिकता अभ्यास)	न्यायाधीशों को स्वेच्छा से अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; कुछ न्यायालय इन घोषणाओं को प्रकाशित करते हैं।	मानक-आधारित; वैधानिक नहीं	कोई कानूनी बाध्यता नहीं; असंगत खुलासे; सत्यापन तंत्र का अभाव।
न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक	इसका उद्देश्य न्यायाधीशों के लिए प्रवर्तनीय आचरण मानकों और निरीक्षण समितियों को संस्थागत बनाना है।	**2010 में शुरू किया गया (2014 में समाप्त हो गया)**	**कभी पारित नहीं हुआ; इसलिए, न्यायपालिका के लिए कोई औपचारिक आचार संहिता या वैधानिक शिकायत निवारण निकाय नहीं है।**
सीएजी, आरटीआई और मीडिया सतर्कता	सीएजी रिपोर्ट से प्रशासनिक चूक उजागर हुई; आरटीआई से अदालती जानकारी तक सीमित पहुंच मिली; मीडिया के दबाव से कार्रवाई को बढ़ावा मिला।	**आरटीआई अधिनियम, 2005; नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट**	**अप्रत्यक्ष एवं प्रतिक्रियात्मक; आरटीआई कवरेज सीमित है; अक्सर मीडिया/सार्वजनिक आक्रोश पर निर्भर रहती है।**

पक्ष में तर्क (तंत्र कुछ हद तक प्रभावी हैं) -

- **महाभियोग न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है**: महाभियोग की उच्च सीमा न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रतिशोध से बचाती है, तथा शक्तियों का पृथक्करण बनाए रखती है।
- **आंतरिक जांच प्रक्रिया विद्यमान है**: न्यायपालिका ने बाहरी हस्तक्षेप के बिना कदाचार से निपटने के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित किया है, जिसमें कुछ जांच और संतुलन की अनुमति दी गई है।
- **पारदर्शिता के उदाहरण बढ़ रहे हैं**: सर्वोच्च न्यायालय का सक्रिय प्रकटीकरण (उदाहरणार्थ, न्यायमूर्ति वर्मा मामले में) अधिक खुलेपन की ओर बदलाव का संकेत देता है।
- **कॉलेजियम पारदर्शिता की गुंजाइश उभरी है**: मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में, कॉलेजियम की सिफारिशों को सार्वजनिक रूप से समझाया गया था - यह जवाबदेही की ओर एक कदम था (हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है)।
- **अनौपचारिक सहकर्मी प्रणालियों के माध्यम से जाँच**: कानूनी बिरादरी सहकर्मी समीक्षा के माध्यम से काम करती है और कदाचार की अफवाहें अक्सर औपचारिक कार्रवाई से बहुत पहले फैल जाती हैं, जो अनौपचारिक जाँच का संकेत देती हैं।

विपक्ष में तर्क (तंत्र अप्रभावी या कमजोर हैं) -

- **महाभियोग लगभग असंभव है**: राजनीतिक सीमा (दो-तिहाई बहुमत) जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित तंत्र के रूप में महाभियोग को अव्यवहारिक बनाती है।
    - उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग और निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई पांच बार ऐसा हुआ है लेकिन किसी भी न्यायाधीश को दोनों सदनों और राष्ट्रपति के आदेश से नहीं हटाया गया है।
- **आंतरिक जांच में पारदर्शिता और प्रवर्तनीयता का अभाव होता है**: ये अपारदर्शी, विवेकाधीन होते हैं, और अक्सर जनता का विश्वास बनाने में असफल रहते हैं, जब तक कि मीडिया या सार्वजनिक अटकलों द्वारा दबाव न डाला जाए।

- **भ्रष्टाचार के मामलों में देरी और कमजोर प्रवर्तन**: न्यायमूर्ति निर्मल यादव को 15 वर्षों के बाद बरी किये जाने जैसे मामले प्रणालीगत देरी और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने की खराब संस्थागत क्षमता को दर्शाते हैं।

- **न्यायमूर्ति निर्मल यादव का बरी होना:** 2008 के "न्यायाधीश के दरवाजे पर नकदी" घोटाले में, न्यायमूर्ति निर्मल यादव के लिए निर्धारित 15 लाख रुपये गलती से किसी अन्य न्यायाधीश को दे दिए गए थे, जिसके कारण सीबीआई जांच हुई; बाद में अपर्याप्त साक्ष्य के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।

- **नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप**: कॉलेजियम की सिफारिशों को रोकने या विलंबित करने की कार्यपालिका की क्षमता, नियुक्तियों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को कम करती है।
- **प्रवर्तनीय न्यायिक मानकों का अभाव**: प्रकटीकरण को अनिवार्य करने वाले ढांचे का अभाव (जैसे, एक ही न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले रिश्तेदारों के बारे में) निष्ठा को कमजोर करता है।
- **अवमानना कानून जांच को बाधित करते हैं**: अवमानना का भय न्यायपालिका की खुली आलोचना को हतोत्साहित करता है, भले ही इसका उद्देश्य वास्तविक सुधार हो या कदाचार को उजागर करना हो।

न्यायपालिका में जनता का विश्वास क्यों घट रहा है?

- **जवाबदेही का अभाव:** गंभीर आरोपों के बावजूद, बहुत कम न्यायाधीशों पर सफलतापूर्वक महाभियोग चलाया गया है या उन्हें जवाबदेह ठहराया गया है, जिससे न्यायपालिका के भीतर दंड से मुक्ति की धारणा बन रही है।
- **मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक धारणा:** न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों को, जैसे कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और निर्मल यादव के मामलों में, व्यापक मीडिया कवरेज मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मीडिया द्वारा ट्रायल शुरू हो जाता है और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही न्यायिक गरिमा का ह्रास होता है।
- **अपारदर्शी आंतरिक तंत्र:** आंतरिक न्यायिक जांच में पारदर्शिता का अभाव होता है, जिससे जनता के लिए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि शिकायतों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से निपटारा किया जा रहा है।
- **न्याय में देरी:** सरकार सबसे बड़ी वादी है और उसके पास बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, इसलिए न्याय की धीमी गति से आम नागरिकों में निराशा और अविश्वास पैदा होता है।
- **सार्वजनिक सहभागिता का अभाव:** यह विश्वास कि लोग न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा करते हैं, जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करता है, विशेषकर ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में।
- **अनुचितता और भ्रष्टाचार के बीच धुंधली रेखाएं:** नैतिक चूक और आपराधिक कदाचार के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने में असमर्थता, सार्वजनिक समझ को और अधिक धुंधला कर देती है तथा निराशावाद को बढ़ावा देती है।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **जवाबदेही तंत्र को मजबूत और कारगर बनाना:** न्यायिक कदाचार की समयबद्ध, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में सुधार करना।
- **उचित प्रक्रिया के साथ सार्वजनिक प्रकटीकरण:** पूछताछ के दौरान गोपनीयता बनाए रखें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पूछताछ के बाद के परिणाम विश्वास बनाने के लिए स्पष्ट कारण के साथ सार्वजनिक किए जाएं।
- **कार्यपालिका के अतिक्रमण से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना:** शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने के लिए प्रारंभिक संस्थागत जांच के बिना समय से पहले पुलिस की भागीदारी से बचना चाहिए।
- **मीडिया को संवेदनशील बनाएं और जिम्मेदार रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना:** मीडिया को न्यायिक मर्यादा का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें और चल रही जांच के दौरान अटकलें लगाने वाली या सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचें।

- **न्यायिक पहुंच और पारदर्शिता में भागीदारी:** न्यायालय प्रक्रियाओं और सुधारों के बारे में सार्वजनिक संपर्क, कानूनी जागरूकता अभियान और संस्थागत संचार को बढ़ाएं।
- **भ्रष्टाचार और अनुचितता के बीच अंतर स्पष्ट करना:** स्पष्ट प्रक्रियाओं और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के साथ नैतिक चूक और सिद्ध भ्रष्टाचार के बीच अंतर को संस्थागत बनाना।

स्रोत:

- **The Hindu: Are existing mechanisms effective in combating judicial corruption?**
- **Indian Express: Justice for the Judge**

यूरोपीय संघ ने GDPR में कटौती की योजना बनाई- भारत के लिए सबक

संदर्भ

- यूरोपीय आयोग **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR)** को संशोधित करने या "कटौती" करने पर विचार कर रहा है ताकि इसे अधिक व्यावहारिक और कम बोझिल बनाया जा सके।
    - प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य डेटा संरक्षण सिद्धांतों से समझौता किए बिना अनुपालन तंत्र को सरल बनाना है।

यूरोपीय संघ GDPR को संशोधित करने की योजना क्यों बना रहा है?

- **उच्च अनुपालन बोझ**: जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 75% व्यवसाय अभी भी अनुपालन के साथ संघर्ष कर रहे हैं।
- **नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव**: GDPR ने Google Play Store पर लगभग एक-तिहाई ऐप्स को बंद करने के लिए मजबूर किया; कार्यान्वयन के बाद नए ऐप्स की प्रविष्टि में आधे से भी कम की गिरावट आई।
- **कम लाभ मार्जिन**: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक पेपर (2022) ने GDPR के बाद यूरोपीय व्यवसायों के मुनाफे में 8.1% की गिरावट की सूचना दी।

भारत का समतुल्य कानून क्या है?

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA):**
    - अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित
    - इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना है

DPDPA के अंतर्गत भारत के मसौदा नियमों में क्या समस्याएं हैं?

- **कोई 'वैध हित' खंड नहीं: GDPR** धोखाधड़ी की रोकथाम, विपणन या पत्रकारिता के लिए सहमति के बिना डेटा उपयोग की अनुमति देता है।
    - **DPDPA** इसे छोड़ देता है, जिससे हर बार नई सहमति की आवश्यकता होती है - जिससे परिचालन संबंधी अराजकता पैदा होती है।
- **कोई 'अनुबंधात्मक आवश्यकता' खंड नहीं: GDPR** अनुबंधों को पूरा करने के लिए डेटा के उपयोग की अनुमति देता है (जैसे, डिलीवरी विवरण, टिकट बुकिंग)।
    - **DPDPA** तीसरे पक्ष की लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भी बिना पूर्वानुमति के प्राप्तकर्ता डेटा का उपयोग करने से रोकता है।
    - ई-कॉमर्स, बीपीओ, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **सहमति थकान:** उपयोगकर्ताओं को सहमति पॉप-अप की बाढ़ आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अंध अस्वीकृति हो सकती है।
    - विडंबना यह है कि इससे गोपनीयता और सुरक्षा मजबूत होने के बजाय कमजोर हो सकती है।
- **अत्यधिक विनियमन से नवाचार की समाप्ति हो सकती है:** स्टार्टअप-अनुकूल डेटा व्यवस्था को बढ़ावा देने के बजाय, DPDPA के GDPR से भी अधिक कठोर होने का खतरा है, जिससे नवाचार और व्यापार करने में आसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारत को क्या करना चाहिए -

- **"वैध हित" खंड शामिल करना:** बार-बार सहमति अनुरोध के बिना आवश्यक सेवाओं (सुरक्षा अलर्ट, धोखाधड़ी का पता लगाना, पत्रकारिता) की अनुमति देना।
- **कानूनी आधार के रूप में "अनुबंधात्मक आवश्यकता" जोड़ना:** तीसरे पक्ष (जैसे, डिलीवरी सेवाएं, ग्राहक सेवा) से जुड़े कार्यों के लिए डेटा के सुचारू प्रसंस्करण को सक्षम करना।

- **अनुपालन और नवाचार में संतुलन:** DPDPA को अनुपालन-भारी व्यवस्था बनाने से बचें, जो स्टार्टअप और तकनीक अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।
- **जोखिम-आधारित, स्तरीकृत दृष्टिकोण अपनाएं:** डेटा की प्रकृति और संवेदनशीलता के आधार पर दायित्वों में अंतर करें , न कि सभी के लिए एक ही नियम लागू करना।

निष्कर्ष

भारत को GDPR के साथ EU के अनुभव से सीखना चाहिए। DPDPA में मूलभूत संशोधनों के बिना, अनुपालन अधिभार उल्टा पड़ सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं , स्टार्टअप और राष्ट्रीय डिजिटल नवाचार को नुकसान पहुँच सकता है। एक व्यावहारिक, व्यवसाय- और नागरिक-अनुकूल दृष्टिकोण समय की मांग है।

स्रोत: **Indian Express: Data Wrapped In Red Tape**